राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 27.03.2020

<u>अधिसूचना</u>

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 की धारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु राजस्थान सरकार प्रदेश में निजी क्षेत्र (समस्त सी एण्ड एफ, डिस्ट्रीब्यूटर्स, स्टॉकिस्ट, थोक विक्रेता एवं रिटेल विक्रेता) में उपलब्ध निम्न दवाओं (घटक युक्त दवाओं) को व्यापक लोक हित में तुरंत प्रभाव से एतद् द्वारा अधिगृहित करती हैः–

1. Ritonavir+Lopinavir Caps/Tab (50 mg+200 mg) and (33.3 mg+133.3mg)
2. Oseltamivir 75 mg Caps, Dry Syrup (12mg/ml)
3. Hydroxychloroquine 200/400 mg Tab

27/03/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
3. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय।
4. एम. डी, आर.एम.एस.सी.एल को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दवाओं को प्राप्त कर स्टॉक प्राप्ति की सूचना इस विभाग को भिजवावें। साथ ही उक्त दवाओं का नियमुनसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
6. समस्त जिला कलक्टर, राज.
7. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
8. औषधि नियंत्रक–प्रथम/द्वितीय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दवाओं को तुरंत प्रभाव से बाजार से अधिगृहित कर आज ~~को~~ ही एम.डी, आर.एम.एस.सी.एल को उपलब्ध कराते हुए इस विभाग को अवगत करावें।
9. समस्त सहायक औषधि नियंत्रकों/ औषधि नियंत्रण अधिकारियों को प्रेषित कर लेख है कि उनके जिलो में स्थित फर्मो/संस्थानों से उक्त दवाओं को तुरंत प्रभाव से अधिगृहित कर आज ही एम.डी, आर.एम.एस.सी.एल को भिजवाते हुए सूचना औषधि नियंत्रक के माध्यम से इस विभाग को अवगत करावें।
10. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
11. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
12. निजी /रक्षित पत्रावली

27.3.2020
(संजय कुमार)
शासन उप सचिव